NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

NCRES के साथ महाप्रबन्धक स्तर पर पी.एन.एम. बैठक दिनांक 4/5 अक्टूबर 2021

श्री आर. पी. सिंह, महामंत्री, एन.सी.आर.ई.एस.

माननीय महाप्रबंधक महोदय, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, अपर महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य इंजीनियर, वरिष्ट उप महाप्रबंधक, मुख्य कार्मिक अधिकारी (औ.स.) एवं उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष तथा NCRES के कार्यकारी अध्यक्ष व सभी पदाधिकारीगण का आज की PNM बैठक में स्वागत करता हूँ। सर, आपने अपने सम्बोधन में कोरोना काल में नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यो की सराहना किया, इसका NCRES स्वागत करता हैं आपने अपने सम्बोधन में नार्थ सेन्ट्रल रेलवे की उपलब्धियों का जो विवरण दिया उसका भी NCRES स्वागत करता है और बताना चाहता हूँ कि Covid से बचाव हेतु प्रशासन द्वारा आधी–अधूरी व्यवस्था किये जाने के बावजूद कर्मचारियों ने रेल विकास के लिये पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया लेकिन सरकार ने Covid महामारी को अवसर के रूप में इस्तेमाल कर कर्मचारियों को मिलने वाले DA/DR पर रोक लगा दिया, 44300/– रू0 अधिक वेतन प्राप्त करने वालो को मिलने वाले रात्रि भत्ते पर रोक लगा दिया, इसी प्रकार वर्ष 2020 में बोनस की भी घोषणा सरकार नही कर रही थी लेकिन NFIR की सम्बद्ध यूनियनो द्वारा सभी जोनो में रैली/प्रदर्शन का आयोजन करने पर दशहरे के एक दिन पहले बोनस देने की घोषणा किया।

सर, मुद्रीकरण के नाम पर सरकार रेलवे स्टेशनो, स्टेडियम इत्यादि को निजी हाथो में देने के साथ रेल में चल रहे महत्वपूर्ण संस्थान जैसे चिकित्सालयों, सेन्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व अन्य महत्वपूर्ण संस्थानो का भी सरकार पुनर्गठन करने के नाम पर निजी हाथो को सौपना चाहती है।

सर, NCRES को यहाँ बताना है कि दिनांक 16 जनवरी 2020 को रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित Spl. DC/JCM की बैठक में तत्कालीन रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी ने घोषणा किया था कि रेल का निजीकरण नही होने देगें। सर, सरकार के निजीकरण की नीतियों का NCRES विरोध करता है और मांग करता है कि DA/DR के एरियर का अविलम्ब भुगतान किया जाय और रात्रि भत्ते की सीलिंग खत्म कर सभी पात्र कर्मचारियों को रात्रि भत्ता दिया जाय। इसी के साथ मैं कुछ आवश्यक बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ताकि उनका समाधान हो सके।

(1) 1.1.2004 से NPS लागू होने के बाद Death & Dissability के केस में कर्मचारियों को Family Pension, Death Gratuity, Invalid Pension इत्यादि दिये जाने के लिये NFIR ने इस मुद्दे को रेलवे बोर्ड में उठाया तो रेलवे बोर्ड ने दिनांक 29.5.2009, 2.7.2013 व वर्ष 2015 में आदेश जारी किया। NCRES ने इस मुद्दे को PNM एजेन्डे के माध्यम से उठाकर कर्मचारियों को लाभ दिये जाने की मांग किया जिसपर नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में NPS के कर्मचारियों व उनके परिवार को लाभ मिला लेकिन आगरा मण्डल में कुछ केसेज है जिन्हें Option देने के बाद भी NPS का लाभ नही दिया गया है, NCRES की मांग है कि Death & Dissability के केस में Option लेकर कर्मचारी व उनके परिवार को Additional Benefit की सुविधा दी जाय।

(2) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के तीनो मण्डल में आवासो के रखरखाव की स्थिति बहुत खराब है, इसीलिये NCRES ने PNM मद संख्या 05/2014 द्वारा मांग किया कि अधिकारियों व कर्मचारियों के आवासो का जोन वर्क अलग किया जाय। इस सम्बन्ध में पांच वर्ष बाद दिनांक 23/24 जनवरी 2019 के PNM बैठक में हुये निर्णय के अनुसार प्रयागराज व आगरा मण्डल को निर्देश जारी किया गया कि अधिकारी आवास और कर्मचारी आवास के लिये अलग–अलग प्रावधान किया जाय और मद समाप्त कर दिया गया। पुनः इस मुद्दे को इसलिये उठाना पड़ा कि PCE के आदेश का कियान्वयन प्रयागराज व आगरा मण्डल द्वारा नही किया गया। NCRES की मांग है कि आवासो के रख–रखाव के लिये अधिकारी और कर्मचारी के आवासो का जोन वर्क अलग–अलग किया जाय और NCRES का PNM मद संख्या 05/2014 पुनः एजेण्डे में सम्मिलित किया जाय।

(3) रेल में अराजपत्रित कर्मचारी GP-1800 से लेकर GP-5400 तक में कार्य करते है लेकिन GP-2400 तक के कर्मचारियो के बच्चो को ही उच्च तकनीकी शिक्षा के लिये SBF से सहायता मिलता है जब कि GP-2800 से GP-5400 तक के कर्मचारी के बच्चे भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते है लेकिन SBF से सहायता न मिल पाने के कारण GP-2800 एवं उसके ऊपर के सभी कर्मचारियो के बच्चे आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा नही प्राप्त कर पाते।

इसी प्रकार लम्बी गम्भीर बीमारी व सामान्य बीमारी के केस में No Leave No Pay की स्थिति में GP-4600 तक के कर्मचारी को ही SBF से आर्थिक सहायता मिलता है जब कि GP-4800 व 5400 के कर्मचारी भी गम्भीर लम्बी बीमारी में छुट्टी खत्म हो जाने पर वेतन नही पाते और उनका परिवार संकट में रहता है इसलिये NCRES की मांग है कि –

(i) GP-2800 से GP-5400 तक के कर्मचारियों के बच्चो को भी उच्च तकनीकी शिक्षा के लिये SBF से सहायता दी जाय।

(ii) लम्बी गम्भीर/सामान्य बीमारी के केस में No Leave/No Pay की स्थिति में GP-4800 व 5400 के कर्मचारी को भी SBF से आर्थिक सहायता की जाय।

(4) RBE No. 141/2017 जारी होने के बाद स्पष्ट हो गया था कि जिन्हें वर्दी मिल रही थी उन्हें वर्दी भत्ता मिलेगा लेकिन नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कहीं पर वर्दी प्राप्त करने वाले आर्टीजन स्टाफ को वर्दी भत्ता मिल रहा है और कहीं नही मिल रहा है जैसे– झांसी विद्युत शेड और कानपुर विद्युत शेड के व्हीकल ड्राइवर और केन ड्राइवर को विन्टर जैकेट मिल रहा था लेकिन अब झांसी विद्युत शेड के स्टाफ को जैकेट की जगह भत्ता नही मिल रहा लेकिन कानपुर विद्युत शेड के व्हीकल ड्राइवर और केन ड्राइवर को विन्टर जैकेट मिल रहा था और अब जैकेट की जगह भत्ता मिल रहा है। इसी प्रकार कहीं पर Pway के आर्टीजन को भत्ता मिल रहा है तो Work के आर्टीजन को नही मिल रहा, इसी प्रकार कहीं TRD के आर्टीजन को भत्ता मिल रहा और कहीं TRD के आर्टीजन को नही मिल रहा।

NCRES की मांग है कि RBE No. 141/2017 जारी होने के पहले नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के आर्टीजन कैटेगिरी में जिन्हें वर्दी मिल रही थी उन सभी को वर्दी भत्ता दिया जाय।

(5) दो माह बाद ठंड और कोहरा पड़ना शुरू हो जायेगा और पूर्व में ऐसा देखा गया है कि ट्रैक की नाइट पेट्रोलिंग के समय कोहरे व कर्व के कारण ईंजी. विभाग के ट्रैकमैनो के साथ दुर्घटनाये होती रही है, इसीलिये NCRES की मांग है कि साउथ सेन्ट्रल रेलवे की तरह ट्रैकमेन्टेनर कैटेगिरी को नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में भी "रक्षक" डिवाइस देने की व्यवस्था की जाय ताकि ट्रैक पर गाड़ी आने की सूचना ट्रैकमेन्टेनर को पहले से मिल सके और वह समय रहते अपने को सुरक्षित कर ले।

(6) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में रनिंग स्टाफ को लाइन बाक्स की जगह ट्राली बैग देने की चर्चा हो रही है जिसके कारण रनिंग स्टाफ में बहुत असंतोष है। इस सम्बन्ध में NCRES को बताना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के तीनो मण्डलो में रनिंग रूम स्टेशन से लगभग 1–2 KM किमी. की दूरी पर है और स्टेशन से रनिंग रूम तक का रास्ता भी बहुत खराब रहता है इसके अलावा रनिंग स्टाफ के लाइन बाक्स में डेटोनेटर व विस्फोटक वगैरह रहता है जो स्टेशन पर सुरक्षित रहता है। यह भी बताना है कि रनिंग स्टाफ अपने साथ अपना बैग रखता है जिसमें वो अपना राशन, कपड़ा और 5 लीटर पानी की बोतल रखता है। लाइन बाक्स की जगह ट्राली बैग देने पर रनिंग स्टाफ का अपने बैग का सामान व लाइन बाक्स का सामान डेटोनेटर व विस्फोटक इत्यादि भी ट्राली बैग में रहेगा जिसके कारण रनिंग रूम में रनिंग स्टाफ बेफिक्र होकर विश्राम नही कर पायेगा और रनिंग स्टाफ को ट्राली बैग जिसका वजन कुल मिलाकर लगभग 15/20 Kg होगा, स्टेशन से रनिंग रूम ले जाने में बहुत परेशानी होगी। NCRES की मांग है कि रनिंग स्टाफ की परेशानियों व उनके असंतोष को देखते हुये लाइन बाक्स की व्यवस्था चलने दिया जाय।

(7) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज मण्डल के प्रयागराज व कानपुर में मालगाड़ी में ALP/Sr. ALP से गार्ड का कार्य कराया जा रहा है जिन्हें मालगाड़ी के गार्ड की ट्रेनिंग नही दी गई है, ऐसे में यदि कोई घटना घट गई तो ALP/Sr.ALP की नौकरी खतरे में पड़ जायेगी, जिसके कारण प्रयागराज के ALP में बहुत असंतोष है। इस सम्बन्ध में NCRES की मांग है कि यदि ALP व Sr. ALP GP-1900/2400 से मालगाड़ी के गार्ड (GP-2800) का कार्य कराया जाना है तो ALP/Sr ALP को गार्ड की ट्रेनिंग व GP-2800 देकर मालगाड़ी के गार्ड की ड्यूटी करायी जाय।

(8) भारतीय रेल में विद्युतीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है और आने वाले समय में डीजल ट्रैक्सन पूर्ण रूप से खत्म तो नही होगा लेकिन बहुत कम हो जायेगा। इस सम्बन्ध में NCRES को बताना है कि अभी 100% डीजल कू का कनवर्जन कोर्स पूरा नही हो पाया है और डीजल कू के सीनियारिटी के सम्बन्ध में पूर्व में कई कोर्ट केसेज रहे है और माननीय उच्चतम न्यायालय से भी निर्णय हुआ है कि डीजल कू और विद्युत कू की सीनियरिटी अलग–अलग रखी जाय। इसीलिये NCRES का मानना है कि इसमें बहुत जल्दबाजी न की जाय अन्यथा कर्मचारी कोर्ट की शरण में चला जायेगा। सीनियारिटी को लेकर डीजल कू में बहुत असंतोष है। NCRES लगातार डीजल कू के सम्पर्क में है और प्रयास किया जा रहा है कि आपस में बात–चीत के माध्यम से सभी विवादित बिन्दु पर सहमति बना लिया जाय। इसलिये NCRES का सुझाव है कि जब तक 100% कन्वर्जन कोर्स पूरा न हो जाय और सीनियरिटी के विवादित बिन्दुओं पर सहमति न बना लिया जाय तब तक डीजल पाथ पर डीजल कू से विद्युत लोको पर कार्य कराया जाय और डीजल कू को विद्युत लोको लाबी को हैण्ड ओवर न किया जाय।

(9) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के तीनो मण्डलो के चिकित्सालयो में डाक्टरो की कमी है, जिसके कारण OPD में डाक्टर को दिखाने में कर्मचारियों को घंटो लाइन में खड़ होना पड़ता है और यदि OPD के डाक्टर को "On Call" स्टेशन जाना पड़ गया तो कर्मचारी/मरीज घंटो इंतजार कर प्राइवेट डाक्टर से इलाज कराते है या दूसरे दिन पुनः डाक्टर को दिखाने आते है, दूसरी तरफ PCMD के अलावा चिकित्सकीय कार्य के अनुभवी डाक्टरो को पिछले 8–10 सालो से प्रधान कार्यालय में Non Clinical का कार्य कराकर कर्मचारियों के प्रति अन्याय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड के अनुसार सभी राजपत्रित प्रशासनिक पद संवेदनशील पद माना जाता है।

NCRES की मांग है कि प्रधान कार्यालय के चिकित्सा विभाग में पिछले 8–10 वर्षो से Non Clinical कार्य कर रहे MBBS डाक्टर को नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के चिकित्सालयों में डाक्टर के रिक्त पद पर पोस्ट किया जाय ताकि उनके चिकित्सीय अनुभवो का लाभ कर्मचारी को मिल सके।

(10) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में इस समय लगभग 150 महिला रनिंग स्टाफ है लेकिन तीनो मण्डलो में रनिंग रूम स्टेशन से लगभग 1–2 KM दूर है और पाथ वे भी ठीक नही है जिसके कारण महिला रनिंग स्टाफ को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

NCRES की मांग है कि महिला रनिंग स्टाफ के लिये स्टेशन के नजदीक रनिंग रूम बनाया जाय।

(11) कोरोना संक्रमण काल में Covid एवं अन्य कारणो से मृत कर्मचारियों के आश्रिंत को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देने में मानवीय आधार पर भी कोई राहत नही दिया गया जिसके कारण ग्रेजुएट कोटे के 8 अभ्यर्थियों में से 3 को और अन्डर ग्रेजुएट के 7 में से 2 को पास किया गया। NCRES की मांग है कि Covid कार्यकाल के केसेज में अनुकम्पा आधार पर आश्रितो को शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्रदान किया जाय और यदि ऐसा सम्भव न हो तो अनुकम्पा आधार पर दी जाने वाली नियुक्तियों के लिये ली जाने वाली लिखित परीक्षा में सरल प्रश्न अभ्यर्थियों से पूछा जाय।

(12) इसी प्रकार पति की मृत्यु के बाद श्रीमती निशा देवी की नियुक्ति दिनांक 21.8.2019 को अवर लेखा सहायक के पद पर इस शर्त पर हुई कि दो वर्ष में टाइपिंग परीक्षा पास कर लें। यहाँ यह बताना जरूरी है कि फरवरी/मार्च 2020 से Covid-19 संक्रमण के कारण सम्पूर्ण लाक डाउन घोषित कर दिया गया और अनलाक शुरू होने पर Covid-19 का दूसरा फेज शुरू हो गया जो पहले से भी खतरनाक था, ऐसी स्थिति में प्रयागराज के सभी टाइपिंग इंस्टीट्यूट बंद थे जिसके कारण श्रीमती निशा देवी सरोज टाइपिंग की स्पीड नही बढ़ा पाई और तीन बार टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गई। यहाँ यह महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि Covid कार्यकाल में टाइपिंग इंस्टीट्यूट बन्द थे और कोरोना संक्रमण से श्रीमती निशा देवी सरोज की सास और जेठ की भी मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में श्रीमती निशा देवी द्वारा अपने परिवार की स्थिति बार–बार बताने के बावजूद प्रशासन ने श्रीमती निशा देवी की प्रार्थना पर ध्यान न देकर

टाइपिंग टेस्ट लिया जब कि श्रीमती निशा अनुरोध कर रही थी टाइपिंग परीक्षा बाद में ली जाय। NCRES को यह भी बताना है कि अनुकम्पा आधार पर होने वाली नियुक्ति में रेलवे बोर्ड ने हमेशा सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिये कहा है।

NCRES का अनुरोध है कि Covid कार्यकाल के तहत श्रीमती निशा की पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुये टाइपिंग टेस्ट के लिये अन्तिम रूप से एक मौका और दिया जाय।

(13) ट्रैकमेन्टेनर कैटेगिरी के उन्नयन का मामला NFIR द्वारा उठाये जाने पर रेलवे बोर्ड द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश किया कि ट्रैकमेन्टेनर कैटेगिरी को निम्न अनुपात में क्रमशः GP-1800 में 50%, GP-1900 में 20%, GP-2400 में 20% और GP-2800 में 10% रखा जाय, लेकिन रेलवे बोर्ड ने दिनांक 17.8.2012 को 3:6:20:71 और दिनांक 1.4.2014 को 6:12:22:60 और 8.3.2019 को 10:20:20:50 के अनुपात में रखने का आदेश जारी किया। NCRES को बताना है कि प्रयागराज, झांसी और आगरा मण्डल के विभिन्न ADEN कार्यालयों द्वारा रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 8.3.2019 का कियान्वयन 8.3.2019 से न करके अलग–अलग तिथियों से किया गया है।

NCRES की मांग है कि तीनो मण्डलो के विभिन्न ADEN की यूनिटो में ट्रैकमेन्टेनर कैटेगिरी में 10:20:20:50 का अनुपात दिनांक 8.3.2019 से ही लागू करने के लिये निर्देश जारी करें।

(14) टिकट चेकिग स्टाफ के रेस्ट हाऊस की स्थिति बहुत खराब है जिसके कारण स्टाफ विश्राम नही कर पाता। रेस्ट हाऊस में सफाई व्यवस्था ठीक नही है जिसके कारण शौचालय व कमरो की स्थिति ठीक नही। दीन दयाल उपाध्याय व आनन्द विहार के अलावा कुकिंग सुविधा कहीं नही है।

इसके अलावा NCR का टिकट चेकिग स्टाफ छिवकी, मडुवाडीह, ऐसबाग (लखनऊ), टूण्डला अलीगढ़, सुबेदारगंज पहुँचता है लेकिन उसके विश्राम के लिये कोई रेस्ट हाउस नही है जिसके कारण उन्हें परेशान होना पड़ता है और अपने स्तर पर होटल में व्यवस्था करना पड़ता है। NCRES की मांग है कि

(1) सभी टी.टी.ई रेस्ट हाउस में सफाई व्यवस्था ठीक करने के लिये निर्देश जारी किया जाय।

(2) आनन्द विहार व DDU की तरह अन्य रेस्ट हाउस में भी कुकिंग सुविधा प्रदान किया जाय।

(3) टिकट चेकिंग स्टाफ के रूकने के लिये जहाँ रेस्ट हाऊस नही है वहाँ उनके रूकने के लिये होटल में या कोई बिल्डिंग किराये पर लेकर व्यवस्था की जाय।

(15) प्रयागराज के PF No. 2 & 3 व 9 & 10 पर आने वाली अप साइड की ट्रेनो का ब्रेक प्लेटफार्म के बाहर निकल जाने पर पैकटो, दो पहिया वाहन व डेड बाडी उतारने में अक्सर पार्सल स्टाफ घायल हो जाता है। NCRES की मांग है कि PF No. 2 & 3 व 9 & 10 की लम्बाई बढ़ाई जाय और जब तक प्लेटफार्म की लम्बाई नही बढ़ पाती तब तक ब्रेक से आने वाले सामानो को उतारने की व्यवस्था सुधार किया जाय ताकि रेल कर्मचारी सुरक्षित रह सके।

(16) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में ट्रैकमैन कैटेगिरी के तमाम गैंगो की बीट दोनो तरफ के स्टेशनो से काफी दूरी पर रहता है जहाँ भीषण जाड़ा, गर्मी, बरसात में खाना खाने, रेस्ट करने या पानी पीने के लिये आना सम्भव नही हो पाता, इसीलिये रेलवे बोर्ड ने दिनांक 5.2.2018 को निर्देश दिया था कि ट्रैकमैनो के रेस्ट करने व टूल बाक्स रखने हेतु दो स्टेशनो के बीच या लेविल क्रासिंग के निकट रेस्ट रूम बनाया जाय। इस सम्बन्ध में प्रधान कार्यालय ने भी NCRES के PNM Item No. 19/11/2018 पर दिनांक 6.8.2020 को निर्देश जारी किया था लेकिन प्रयागराज मण्डल, झांसी मण्डल व आगरा मण्डल द्वारा ट्रैकमैनो के लिये कोई रेस्ट रूम रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार नही बनाये गये।

(17) NCR में ट्रैकमशीनो में लगे कैम्पिंग कोचो की स्थिति बहुत खराब है। अन्य रेलवे में ट्रैकमशीनो में लगे कैम्पिंग कोचो में सभी सुविधायें जैसे – इनवर्टर, एक्वागार्ड, कूलर आदि सभी सुविधाये है, इसी कारण ट्रैकमशीनो पर कार्यरत कर्मचारियों में बहुत असंतोष है। NCRES की मांग है कि ट्रैकमशीनो में लगे खराब कैम्पिंग कोचो को हटाकर सभी सुविधाओं से युक्त नये कोच लगाये जाय। इसके अतिरिक्त RGM रेस्ट हाउसो की भी हालत बहुत खराब है इसलिये मांग है कि RGM रेस्ट हाऊसो में सुधार किया जाय।

(18) विद्युत ट्रैक्सन क्रू लाबी, प्रयागराज के द्वारा पिछले 1–2 वर्षो से ALP/LP से राष्ट्रीय पर्व/त्योहारो पर मनोरंजन के नाम पर अनावश्यक दबाव बनाकर 1000/– रू0 प्रति की वसूली की जाती है और वसूले गये धन से संरक्षा से खिलवाड़ करते हुये प्रयागराज के रनिंग रूम में समय–समय पर रंगारंग के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिससे रनिंग रूम में रनिंग स्टाफ विश्राम नही कर पाता और स्टाफ अन्डर रेस्ट की स्थिति में ट्रेन मे ड्यूटी करने के लिये मजबूर होता है। इसी तरह 15 अगस्त 2021 को प्रयागराज विद्युत लाबी के नियंत्रक द्वारा ALP/LP से अवैध धन की वसूली की गई और संरक्षा से खिलवाड़ करते हुये 10 बजे से 15 बजे तक प्रयागराज रनिंग रूम में लाउडस्पीकर लगाकर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारी भी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। ऐसी स्थिति में यह भी विचार करने का विषय है कि रनिंग रूम में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के कारण अन्डर रेस्ट रनिंग स्टाफ के द्वारा ट्रेनो के संचालन से कोई घटना घट गई होती तो रेल व देश की छवि पर क्या प्रभाव पड़ता और रनिंग स्टाफ के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया होता। इस तरह का कार्यक्रम रनिंग रूम में किसके आदेश से आयोजित किया गया, यह जांच का विषय है, कृपया उच्च स्तर पर जांच कराये और कार्यवाही करें।

इसके अलावा इस पर भी विचार करे कि प्रयागराज मण्डल के कानपुर व टूण्डला हेडक्वाटर तथा झांसी व आगरा मण्डल के सभी हेडक्वाटर पर क्रू लिंक के अनुसार कार्य कराया जा रहा जब कि प्रयागराज हेडक्वाटर के विद्युत लाबी के ALP/LP से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये बोर्ड की नीतियों के विरूद्ध Pick & Choose की पालिसी के तहत कार्य कराया जा रहा है, जो गम्भीर भ्रष्टाचार का मामला है।

(19) सर, वर्ष 2013 में यूनियनो की मान्यता के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा कराये गये सीक्रेट बैलेट चुनाव में नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ (NCRES) ने भारतीय रेल के समस्त जोनो में से सबसे ज्यादा 56.82% वोट प्राप्त कर मान्यता प्राप्त किया था, इसी कारण नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कर्मचारियो की अपेक्षाये NCRES से ज्यादा है और NCRES को भी मण्डलो के प्रशासनिक अधिकारियों से उम्मीद रहती है कि NCRES द्वारा उठाये गये मुद्दो पर गम्भीरता से विचार कर जल्द उचित कार्यवाही की जाय, लेकिन मण्डलो के अधिकारियों द्वारा विशेषतया प्रयागराज मण्डल के अधिकारियों द्वारा NCRES के मण्डल अध्यक्ष/मण्डल सचिव के टेलीफोन अटेण्ड नही किये जाते, जो दुःखद है, मुलाकात करने में 2–3 दिन का समय लगने के कारण NCRES के कैडर व कर्मचारियों में बहुत असंतोष है, कृपया विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री वी. जी. गौतम, कार्यकारी अध्यक्ष, एन.सी.आर.ई.एस.

(20) नेशनल पेंशन सिस्टम से रेलवे सर्विस (पेंशन) रूल 1993 में पात्र कर्मचारियों को किये जाने हेतु।

महोदय, रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या NCRES दिनांक 3.3.2020 के माध्यम से डिपार्टमेंट आफ पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा जारी OM दिनांक 17.2.2020 को संलग्न कर निर्देशित किया था कि उक्त OM में दिये गये निर्देशो के अनुरूप उन रेल कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति 01 जनवरी 2004 के बाद तो हुई थी लेकिन जिनकी चयन प्रकिया दिनांक 31.12.2003 तक पूर्ण हो गई थी उन्हें रेलवे सर्विस (पेंशन) रूल 1993 का लाभ दिया जाय।

यद्यपि यह झांसी के वर्कशाप में दे दिया गया है लेकिन मण्डल के पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ अभी तक नही मिल पाया है। जबकि OM के अनुसार यह कार्य दिनांक 30.9.2020 तक हो जाना चाहिये था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऐसे पात्र कर्मचारियों जिन्होंने निर्धारित तिथि के अन्दर अपना विकल्प दे दिया था लेकिन निर्णय होने के पूर्व सेवानिवृत हो गये। कुछ पात्र कर्मचारी ऐसे भी है जो उक्त आदेश जारी होने के पूर्व ही सेवानिवृत हो गये।

अतः संघ मांग करता है कि

(a) सेवारत पात्र कर्मचारियों को अति शीघ्र रेलवे सर्विस (पेंशन) रूल 1993 का लाभ दिया जाय।

(b) सेवानिवृत पात्र कर्मचारियों को उक्त लाभ प्रदान करते हुये सेवानिवृत उपादानो का भुगतान किया जाय।

(c) उक्त समस्त कर्मचारियों का पी.एफ. कन्ट्रीव्यूशन व्याज सहित उनके भविष्य निधि खाते में हस्तान्तरित किया जाय एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को भुगतान किया जाय।

(21) अनुकम्पा आधारित नियुक्तियों में मिनिस्टीरियल संवर्ग को शामिल न किया जाना।

अनुकम्पा आधारित नियुक्तियां स्नातक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ग्रेड पे 2800/– (लेवल – 5) में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है जो कि वर्तमान में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग, वाणिज्य संवर्ग एवं गार्ड संवर्ग में ही 2800/– ग्रेड पे के पद है जिन पर सीधी भर्ती हो सकती है। मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में अब फीमेल अभ्यर्थी को भी नही दिया जा रहा है वाणिज्य संवर्ग में भी ऐसे प्रकरण स्वीकार नही किये जा रहे है। वर्तमान में झांसी मण्डल में गार्ड संवर्ग में सीधी भर्ती की रिक्तियां नही है। रिक्तियां होने की स्थिति में भी यदि अभ्यर्थी गार्ड पद के लिये फिट नही पाया जाता है तो उसे टेक्नीशियन ग्रेड पे 1900/– में ही पदस्थ किया जाता है। जो कि उनके प्रति अन्याय है।

अतः "संघ" मांग करता है कि –

(a) हर तरह से पात्र एवं फिट कर्मचारियों को यथा सम्भव शीघ्र गार्ड संवर्ग में नियुक्त प्रदान की जाय।
(b) यदि गार्ड संवर्ग में रिक्तियां नही है तो वाणिज्य संवर्ग में नियुक्ति प्रदान की जाय।
(c) पूर्व की भांति महिला अभ्यर्थियों को मिनिस्टीरियल संवर्ग में नियुक्ति दी जाय।
(d) अपरिहार्य स्थितियों में पुरूष अभ्यर्थियों को भी मिनिस्टीरियल संवर्ग में नियुक्ति दी जाय।

(22) लेवल कासिंग गेट संख्या 367 ए एवं 367 बी पर अन्डर ब्रिज/ओवर ब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में।

डीजल शेड झांसी के कर्मचारियों को शेड में अपनी ड्यूटी पर पहुँचने के पूर्व उपरोक्त दोनो को गेट पार करने पडते है इसी तरह से वर्कशाप, सी.एम.एल.आर., स्टोर, ए.सी. शेड में कार्यरत कर्मचारी जो रेलवे स्टेशन के पूर्वी क्षेत्र में रहते है उन्हें गेट संख्या 367 बी पार करके ही ड्यूटी जाना पड़ता है। यहाँ यह स्पष्ट कर दू कि गेट संख्या 367 ए, आम तौर पर बन्द रहता है जब कि मानिकपुर लाइन पर यातायात बढ़ जाने से गेट संख्या 367 बी भी ज्यादातर बन्द रहता है। रेल कर्मचारी या तो विलम्ब से कार्यस्थल पर पहुँच पाते है अथवा अपनी जान जोखिम में डालकर नियम विरूद्ध पटरी पार कर ड्यूटी पहुँचते है।

अतः "संघ" मांग करता है कि उक्त दोनो गेट पर अन्डर ब्रिज/ओवर ब्रिज बनवाया जाय।

(23) (क) विधुत लोको शेड कानपुर में खान–पान कैन्टीन की बिल्डिंग अत्यन्त जर्जर स्थिति में हो गई है। बरसात में पूरी छत टपक रही है। छत व दिवालों का प्लास्टर टूट–टूट कर गिर रहा हैं और दुर्घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है । NCRES की माँग पर रेल प्रशासन द्वारा कैन्टीन की नई बिल्डिंग का निर्माण करा दिया गया है परन्तु कैन्टीन शिफ्ट करने में स्थानीय विधुत लोको शेड प्रशासन यह कह कर मना कर रहा है कि नव–निर्मित कैन्टीन बिल्डिंग में प्रशासनिक कार्यालय का संचालन होगा तथा कैन्टीन हेतु नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जायेगा जो उचित नहीं है । इस सम्बन्ध में NCRES का आग्रह है कि नवनिर्मित बिल्डिंग जो खान–पान कैन्टीन के उपयोग हेतु बनी है उसमे कैन्टीन शिफ्ट कराई जाय।

(ख) विधुत लोको शेड कानपुर में तीनों शिफ्टों में कार्य होता है तथा कार्य के दौरान चोट लगने पर इमरजेंसी में अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी की कमी के कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। इस सम्बन्ध में आग्रह है कि इमरजेन्सी में घायलों को अस्पताल पहुचाने के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था कराई जाय।

(24) कानपुर परिक्षेत्र में रेल कालोनियों की दुर्दशा ।
कानपुर नगर स्थित फजलगंज, तेजाबमिल अनवरगंज ट्रैक्शन रेलवे कालोनी, जमुनिया बागा रेलवे कालोनी नार्थ रेलवे कालोनी, जन्माष्टमी कालोनी, डिग्गी कालोनी, निराला नगर, गोविन्द नगर, मिलेट्री कैम्प आदि रेलवे कालोनियो के आवासों की स्थिति मरम्मत के अभाव में अत्यंत दयनीय हो गई है तथा तेज़ाबमिल, अनवरगंज, नार्थ कालोनी जमुनिया बाग, मिलेट्री कैम्प आदि रेलवे कालोनियो के आवासों की स्थिति मरम्मत के अभाव में अत्यंत दयनीय हो गई है तथा तेजाबमिल अनवरगंज, नार्थ कालोनी जमुनिया बाग मिलेट्री कैम्प गोविन्द नगर निराला नगर आदि कालोनियों में अधिकाँश रेलवे आवास परित्यक्त किये जा चुके है जो कि रहने योग्य नही है, तथा वर्तमान में अधिकाँश रेलवे आवास परित्यक्त किये जा चुके है, जो रहने योग्य नही है, तथा वर्तमान समय में विधुत लोको शेड, टी.एम .शेड कैरेज वैगन इन्जीनियारिंग, पी.वे, आर.एस.ओ., आपरेटिंग, एस–टी आदि विभागों में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाने के कारण रेलवे आवासों की नितांत आवश्यकता हैं, अतः NCRES की मांग है कि कानपुर नगर में नए रेल आवासों का निर्माण कराया जाय, तथा रेल नगर में नए रेल आवासों का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, तथा रेल कालोनियों की सड़को व आवासों के रख रखाव हेतु उचित व्यवस्था किया जाय।

(25) स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याएं।

(क) उप मण्डलीय चिकित्सालय कानपुर में फिजिशियनएम.डी. आर्थो ,इ.एन.टी. के डाक्टर नही हैं जिससे मरीजों को काफी असुविधा हो रही हैं।
(ख) कानपुर नगर के पूर्वी क्षेत्र में हजारों कि संख्या में रेल कर्मचारी निवास करते है लेकिन स्वास्थ्य के द्रष्टिकोण से पूर्वी क्षेत्र में एक भी प्राइवेट नर्सिंग होम रेलवे अस्पताल से अनुबंधित नही हैं, जबकि पूर्वी कई नर्सिंग होम अच्छी गुणवत्ता बी संशाधनो से युक्त हैं। अतः आग्रह है कि रामादेवी स्थित टौरस हास्पिटल, मंगला हास्पिटल ,सरल नर्सिंग होम आदि अस्पतालों को भी रेलवे पैनलों से अनुबंधित किया जाय।

(26)

(क) प्रयागराज मण्डल के इन्जीनियरिंग विभाग (पी.वे और वर्कसाइड) के कर्मचारियों को वर्ष 2016 तक वर्दी दी जाती रही, परन्तु वर्ष 2017 से वर्दी भत्ता की घोषणा हो जाने के पश्चात अभी तक वर्दी भत्ता का भुगतान नहीं किया जा हैं।

(ख) प्रयागराज मण्डल के इन्जीनियरिंग विभाग में सेफ्टी शू की आपूर्ति समुचित तरीके से नहीं की जा रही हैं। वर्ष 2019 में एक जोड़ी तथा 2021 में एक जोड़ी सेफ्टी शू की आपूर्ति की गई हैं, जबकि नियमानुसार प्रत्येक छः माह माह में एक जोड़ी सेफ्टी शू ट्रैकमैन को मिलना चाहिए।

(ग) NCR जोन में कार्यरत टी आर डी विभाग के कर्मचारियों को पोशाक भत्ता नहीं दिया जा रहा हैं, जबकि अन्य जोन में कार्यरत टी आर डी विभाग के कर्मचारियों को पोशाक भत्ता दिया जा रहा है। अतः NCR जोन में भी पोशाक भत्ता दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(घ) उत्तर मध्य रेलवे के मेडिकल विभाग में कार्यारत लैब अधीक्षक कैडर (जो पूर्व में केमिस्ट के नाम से जाना जाना जाता था)को वर्दी भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है, कार्मिक विभाग द्वारा आवेदन यह कहकर अस्वीकार कर दिए गए जा रहे है कि लैब कैडर को वर्दी भत्ते के भुगतान के लिए कोड अंकित नहीं हैं।

(27) जनरल पावर की समस्याएं –

(क) कानपुर नगर की समस्त रेल कालोनियों /पार्को की अधिकाँश रोड लाइटे नहीं जल रही हैं।

(ख) हेडक्वाटर पी.एन.एम.में NCRES के साथ लिए गए निर्णय के अर्न्तगत टाइप III, टाइप IV के आवास के हकदार रेल कर्मचारी जो टाइप–II आवास में रह रहे हैं, उन सभी आवासों में ए.सी.प्वाइंट की सुविधा प्रदान किया जाय।

(28) विधुत प्रशिक्षण केन्द्र फजलगंज कानपुर में पूर्व की तुलना में प्रशिक्षुओं की संख्या में विगत वर्षो से काफी वर्द्धि हुई है। एन.सी.आर. जोन में निकट भविष्य में काफी संख्या में प्रमोशन कोर्स रिफ्रेशर कोर्स, कनर्वजन कोर्स, लंबित है, साथ ही अत्यधिक टेक्नालाजी से युक्त नए –2 विधुत इन्जनों के आने से नित्य नए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मात्र एक सेमुलेटर से एवं हास्टलों तथा संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उचित प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है। कोविड–19 महामारी के दौरान वैकल्पिक प्रशिक्षण हेतु आनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी परन्तु अब रेगुलर क्लास न होने से क्रियात्मक प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा हैं।

अतः आग्रह है कि विधुत प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाते हुए पर्याप्त माडल रूम सेमुलेटर छात्रावास की भी संख्या बढ़ाई जाय तथा आन लाइन प्रशिक्षण की जगह आफ लाइन प्रशिक्षण कराया जाय जिससे प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण मिले तथा संरक्षा पूर्वक रनिंग कर्मचारी डियूटी कर सके।

श्री एस. के. मिश्र, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, एन.सी.आर.ई.एस.

(29) सुबेदारगंज रेलवे हास्पिटल बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सालय है जहाँ GM Office, TRD, CSP, CPOH आदि कार्यालयों के साथ–साथ रेल गांव कालोनी, सुबेदारगंज रेलवे कालोनी स्थित है एवं तमाम कार्यरत एवं सेवानिवृत रेलकर्मियों के निजी आवास भी इस परिक्षेत्र में स्थित है किन्तु चिकित्सालय में समुचित व्यवस्था न होने के कारण रेलकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात में 2 से 3 फिट हास्पिटल परिसर में पानी भर जाता है।

अतः अनुरोध है कि रेलवे हास्पिटल, सुबेदारंगज में नियमित डाक्टरो की संख्या बढ़ाई जाय। X-Ray व अल्ट्रासाउन्ड आदि की व्यवस्था की जाय। हास्पिटल को अपग्रेड किया जाय व सप्ताह में एक दिन विशेषज्ञ डाक्टरो को भेजने की सुविधा प्रदान की जाय।

(30) ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के समीप मुन्नू साइडिंग है जहाँ कई रेक का प्लेसमेंट व अनलोडिंग के बाद ड्रान आउट प्रतिदिन किया जाता है व गार्ड/लोको पायलट को GDR बनाना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र होने व उचित पाथ वे न होने एवं झाड़ियों के कारण आये दिन गार्ड/लोको पायलट चोटिल होते रहते है एवं जहरीले जीव–जन्तु का खतरा बना रहता है। रनिंग रूम के अभाव में रनिंग स्टाफ को आवश्यकतानुसार खाना व नाश्ता, विश्राम आदि भी नही मिला पाता है।

अतः निवेदन है कि मुन्नू साइडिंग में उचित पाथवे का निर्माण कराया जाय, झांड़ियों को साफ कराया जाय एवं रनिंग रूम की सुविधा मुहैया कराई जाय जिससे गार्ड/लोको पायलट को संरक्षित कार्य संचालन में मदद मिल सके।

(31) मण्डलो के स्टेशनो में लूपलाइन में आये दिन विभिन्न कारणो से गुड्स ट्रेन को स्टेबल/ NRT करना पड़ता है। बरसात के दिनो में लूप लाइन के बगल झाड़ियां उग आई है जिससे वहां से लोड लेने गये रनिंग स्टाफ को GDR बनाना पड़ता है। झांड़ियों के चलते विशेषकर रात्रि में GDR बनाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है व जहरीले जीव जन्तु का भी खतरा बना रहता है।

अतः अनुरोध है कि जांच कराकर झाड़ियों की सफाई सुनिश्चित किया जाय व जहां तक सम्भव हो स्टेवल/ NRT लोड को ले जाने हेतु दिन में रनिंग स्टाफ को भेजा जाय जिससे GDR बनाने में सहूलियत हो सके व संरक्षित संचालन में मदद मिल सके।

(32) मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय में स्टाफ की सुविधा हेतु कैन्टीन की सुविधा मुहैया कराई गयी है जहां मण्डलो से रेलवे स्टाफ भी आते है व आवश्यकतानुसार कैन्टीन की सुविधा का लाभ भी लेते है किन्तु ए.सी. के अभाव में गर्मी/उमस के दिनो में अत्यधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः निवेदन है कि मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालयों में स्थित कैन्टीन की स्थिति में सुधार करते हुये ए.सी. की सुविधा प्रदान करवाने का कष्ट करे जिससे स्टाफ को सहूलियत हो सके।

श्री ए. के. दधीच, संयुक्त महासचिव, एन.सी.आर.ई.एस.

(33) आगरा मण्डल में CLI के 31 पद रिक्त है। पिछले तीन साल से लोको निरीक्षक पैनल नही किया गया है। काम के दबाव के कारण CLI समय से पूर्व सेवानिवृति ले चुके है। शीघ्र पैनल के पदो पर पदोन्नति की जाय।

आगरा मण्डल में ट्रिप शेड में 8 पद स्थित थे जिसमें MCM 01, Tech- 02, Tech-03, Tech III(E)- 01 थे आज तक केवल एक टेक्नी. कार्यरत है। कृपया शेष 7 पर नियुक्ति शीघ्र की जाय जिससे रेल संचालन सुचारू रूप से चलाया जा सके।

(34) इटावा एवं बांदीकुई (BKI) JP Div - NWR रनिंग रूम की सुविधा नही है । रनिंग स्टाफ की खाने की व्यवस्था नही है। शीघ्र होटल हायर किया जाय जिससे शीघ्र निदान हो सके।

(35) आगरा मण्डल – मण्डल हास्पिटल में हाई टेक एम्बूलेंस की व्यवस्था की जाय। जब कभी आगरा से दिल्ली मरीज को भेजा (रेफर) जाता है। उपलब्धता न होने के कारण केन्द्रीय अध्यक्ष शकील हैदर साहब, LPG T. P. Pandey, P/Man – Raju/AGC को उपचार समय से न मिल पाने के कारण मृत्यु हो गई।

श्री अक्षयकान्त शर्मा, मण्डल सचिव, आगरा मण्डल

(36) महोदय, कर्मचारियों के सुविधा पास को HRMS से जारी करने पर आ रही परेशानी से सुविधा पास जारी नही हो पा रहे है और कर्मचारी को स्वंय खर्चा करके यात्रायें की जा रही है।

(i) कोरोना काल में स्कीम लागू करने के कारण इसका प्रचार व प्रैक्टीकल–ट्रेनिंग सभी वे–साइड सुपरवाइजर/डिपो इंचार्ज/कार्यालय अधीक्षक को पूर्ण सक्षमता के साथ नही हो पाई है।

(ii) HRMS व I-Pass को समानान्तर रूप से कार्य लेने पर कर्मचारी के पारिवारिक विवरण में छोटी सी विविधता/चूक/त्रुटि पर कम्प्यूटर स्वीकार नही करता है क्योंकि I-Pass में विवरण पहले से ही फीड है और HRMS में आऊटसोर्सिंग से विवरण फीड कराये गये है। अतः दोनो में कहीं न कहीं डिफरेन्स आना स्वाभाविक है।

(iii) जहाँ कार्यालय अधीक्षक/सुपरवाइजर वृद्ध है और एन्ड्रायड फोन भी चलाना नही जानते वे कम्प्यूटर पर कार्य नही कर पा रहे है। अतः उन्हें पूर्ण सहायता की आवश्यता है।

(iv) कई कार्यालय अधीक्षक/सुपरवाइजरर्स पर कम्प्यूटर ही नही है या इस क्षमता के नही है कि थोक में डाटा फीड कर सके।

(v) कर्मचारी की Application/Discription को कई चैनल पर स्वीकृति की आवश्यकता होती है जहाँ बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत कर दिया जाता है। कारण बताते हुये विवरण का अद्यतन नही किया जा रहा है।

(vi) कही–कहीं वे साइड डिपो पर इंटरनेट की समस्या इतनी अधिक है कि आन लाइन पास बनाना मुश्किल हो जाता है।

(37) आगरा मण्डल में दिनांक 10.7.2021 को लोको पायलट गुड्स पर पदोन्नतिह हेतु ALPs व LPS (शंटर) की उपयुक्तता सूची 194 कर्मचारियों की जारी की गई, तत्पश्चात लगभग 3 माह बीतने पर भी कोई कार्यवाही नही की गई है, उक्त संदर्भ में NCRES का कथन है कि –

(i) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)I-2006/PM7/21 दिनांक 22.8.2008 (RBE 101/2008) के अनुसार Sr. ALPs तथा ऐसे शंटर (जिनकी रेल सेवा 3 माह से कम है) और जो दो वर्ष की रेल सेवा व 60000 किमी. गाड़ी वर्क कर चुके है, का पैनल महाप्रबंधक महोदय के अप्रूवल हेतु भेजा जायेगा।

यह उपयुक्तता सूची केवल Sr. DPO की ओर से निकाली गई है जबकि लगभग 3 माह बीतने के बाद भी Sr. DEE/OP/Agra द्वारा अभी तक दो वर्ष (रेसीडेंसी पीरियड) तथा 60000 किमी. की सूची (पैनल) अभी तक तैयार नही की है। परन्तु 194 कर्मचारियों की उपयुक्तता सूची में शंटर तथा ऐसे Sr. ALP के भी नाम जोड़ दिये गये है जिनके 60000 किमी. पूरे नही है।

(ii) मुख्यालय से जारी पत्र में जोड़े गये Seniority व Competancy की शर्ते किसी भी RBE में दर्ज नही है ये अव्यवहारिक है। इन्हें हटाया जाय तत्पश्चात दिनांक 23.2.2021 को मुख्यालय से जारी पत्र संख्या 797–ई/स्था./वि./पत्राचार/26 के प्वाइंट (1) में "Seniority cum Suitability basis" पर पैनल बनाने की शर्त दर्ज कर दी।और प्वाइंट नं0 (5) में महाप्रबंधक महोदय द्वारा Dispensation हेतु theoretical and practical training के साथ–साथ काम्पीटेंसी टेस्ट की शर्त को शामिल कर दिया है जिनको पूरा करने में काफी परेशानी आ रही है।

सभी उपयुक्त कर्मचारियों का PE-3 ट्रेनिंग पूरी होने और कई कर्मचारी की लर्निंग पूरा होने पर भी इनको काम्पीटेंसी देने की प्रकिया को शुरू नही किया गया है।

संघ मांग करता है कि ऐसे कर्मचारी जिनको दो वर्ष सर्विस व 60000 किमी. पूरे है कि संशोधित सूची जारी करते हुये पैनल को DRM से Appear कराकर जिन कर्मचारियों की प्रेक्टीकल, थ्योरीकल व लाइन लर्निंग पूरी हो चुकी है, उन्हें काम्पीटेंसी देने का कार्य शुरू किया जाय।

RBE 40/1996 Dt. 01/5/1996 तथा RBE 101/2008 दिनांक 22.8.2008 का सार यह है कि Sr. ALP को LPS (शंटर) में पदोन्नत न करके Direct LPG (4200) में पदोन्नत करने के लिये उक्त पैनल (Sr. ALP में 2 वर्ष सर्विस तथा 60000 किमी. गाड़ी चालन) को महाप्रबंधक के Consideration/Dipanation हेतु भेजा जाता है। क्योंकि सभी कर्मचारियों को लाइन लर्निंग व काम्पीटेन्सी का कार्य तकनीकी दृष्टि व व्यवहारिक दृष्टि से काफी मुश्किल है अतः DRM द्वारा अप्रूव्ड पैनल को यथावत रखते हुये उक्त शर्तो को पूरा करने वाले वरिष्ठता के अनुसार कर्मचारियों को पदोन्नति देने का कार्य शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जाय जिससे कर्मचारियों का भविष्य कुप्रभावित न हो।

श्री आलोक सहगल, सहायक महासचिव, एन.सी.आर.ई.एस.

(38) महोदय, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के तीनों मंडलों मे लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों पर इन्सपेक्टर रेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिनका उपयोग सभी विभागों के सुपरवाइजर तब करते हैं जब वे उस स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान किसी कार्य के लिए जाते हैं। महोदय, बड़े दुःख के साथ अवगत कराना हैं कि इन सभी Inspector Rest House की हालत बेहद खराब हैं, कही प्लास्टर उखड़ा हुआ हैं तो कही बाथरूम की शीट टूटी हुई एवं कहीं बेड एवं गद्दा में खटमल के कारण कोई उस पर सो नहीं सकता। कुल मिला कर सामान्यतः इन Rest House की हालत इतनी खराब है कि वहाँ कोई मजबूरी में ही रूकता है एवं ज्यादातर लोग होटल में कमरा लेने को मजबूर हो जाते है। प्रयागराज मंडल के अलावा जोनल हेडक्वाट्र हैं जहॉ तीनो मंडलो से कार्य के लिए सभी विभागों के सुपरवाइजर आते रहते हैं परन्तु यहॉ पर भी Inspector Rest House रहने के लायक नही हैं। अतः NCRES का अनुरोध है कि किसी भी मंडल में निरीक्षण के दौरान यदि आप Inspector Rest House के निरीक्षण को अपने दौरा कार्यक्रम में शामिल कर लेगें तो प्रयागराज सहित तीनों मंडलों के इन्सपेक्टर रेस्ट हाउस का सुधार हो जाएगा एवं कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत मिल जाएगी। इसके साथ NCRES यह भी अनुरोध करती हैं कि NCR ने गर्मी को देखते हुए सभी इन्सपेक्टर रेस्ट हाउस में ए.सी. का भी प्रावधान कर दिया जाय।

(39) महोदय, NCRES आपको अवगत कराना चाहता हैं कि प्रयागराज मंडल के अहरौरा रोड स्टेशन पर लगभग 2 वर्ष पूर्व नई रेलवे कालोनी बनायी गयी जिसमें लगभग 25 घर हैं परन्तु दो वर्ष बीतने के बावजूद वहॉ अभी भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं की गयी हैं। महोदय, कालोनी के सामने लाइन के उस पार एक शराब का ठेका हैं जहॉ शाम होते ही तमाम बाहरी व्यक्ति लाइन डाक कर जाते हैं एवं अंधेरे का फायदा उठा कर कालोनी में बैठ कर जमवाड़ा करते हैं जिसे कालोनी में रहने वाली महिलायें बच्चे समेत सभी लोग भयभीत रहते हैं । पास में ही 15 घरों की पुरानी कालोनी हैं एवं वहॉ भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं हैं। NCRES के मंडल स्तर पर पत्र लिखने का पश्चात् भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगायी गयी हैं । अतः NCRES की मॉग हैं कि अररौरा रोड की नयी कालोनी में शीघ्र ही स्ट्रीट लाइट लगवायी जाए, जिससे कर्मचारियों को राहत हो सके।

(40) महोदय, NCRES को अवगत कराना हैं कि प्रयागराज मंडल में विद्युत/ टी.आर.डी विभाग में वरिष्ठ लिपिक (जीपी 2800/–) के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं जिससे कार्यालय लिपिक (जीपी 1900/–) के कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं दे पा रहा हैं । महोदय, – इसके पूर्व दिनांक 29.7.2019 को वरिष्ठ लिपिक पद हेतु 66.66 प्रतिशत पदोन्नति कोटा के तहत 27 पदों को भरने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया था परन्तु कठिन परिक्षा एवं नये पैटर्न के कारण एक भी कर्मचारी परिक्षा पास नहीं कर सका था । इस प्रकार वर्षो से रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका हैं । NCRES ने मंडल स्तर पर पत्र लिख कर जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मॉग की हैं परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं । अतः NCRES की मॉग विद्युत/टीआरडी विभाग में वरिष्ठ लिपिक जीपी 2800/– के पद पर प्रमोशन हेतु नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाय।

(41) महोदय – S&T विभाग रेल संरक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग हैं जहॉ किसी भी कर्मचारी की एक गलती दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। महोदय, रेल संचालन में आपरेटिंग विभाग एवं सिगनल विभाग का चोली–दामन का साथ है। एवं किसी भी फेलियर के दौरान रेल संचालन के लिए दोनो विभागों में सामंजस्य की अति आवश्यकता होती हैं एवं इसी कारण पैनल रूम एवं रिले रूम को हमेशा साथ–साथ बनाया जाता हैं । परन्तु कानपुर में प्रस्तावित नयी EI में आपरेटिंग विभाग के पैनल रूम से S&T विभाग के रिले रूम को ग्राउन्ड फलोर पर 400 मीटर दूरी पर बनाने का प्रस्ताव किया गया हैं जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं हैं एवं इस कारण फेलियर, ब्लाक अथवा रोजमर्रा के कार्य में भी दिक्कते आयेगी जो कि संरक्षा के लिहाज से भी उचित नहीं होगा । इसके अतिरिक्त नये स्टेशनों पर मेन EI/RRI बिल्डिंग का रिले रूम ग्राउन्ड फ्लौर पर बनाने से भी कई दिक्कतें आती हैं। महोदय, उसके साथ NCRES यह भी अवगत कराना चाहता हैं कि इसी पीएनएम में NCRES ने यह आदेश कराया था कि सभी स्टेशनों पर सिगनल विभाग के लिए एक लैट्रिन बाथरूम युक्त ड्यूटी रूम बनाया जायगा परन्तु प्रयागराज मंडल में नयी बन रहीं बिल्डिंगों में भी इस सुविधा का ध्यान नहीं रखा जा रहा हैं । अतः NCRES का अनुरोध हैं कि कानपुर की नयी प्रस्तावित EI का रिले रूम पहली मंजिल पर पैनल रूम के साथ बनाया जाय एवं नयी बन रहीं बिल्डिंग एवं RH में S&T स्टाफ के लिए लैट्रिन बाथरूम युक्त ड्यूटी रूम बनाया जाय ।

(42) दिनांक 13.5.2021 को कोविड–19 से मृत स्व0 रवि किशोर, सहायक/टेली/2 प्रयागराज की अविवाहित बहन को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, अवगत कराना है कि स्व0 रवि किशोर, सहायक/टेली/2/प्रयागराज अधीन एस.एस. ई/टेली/2/प्रयागराज की मृत्यु कोविड–19 से दिनांक 13.5.2021 को हो गई थी। यह भी कि स्व0 रवि किशोर अभी अविवाहित थे एवं इनकी भर्ती लार्जेस के तहत हुई थी एवं वे अपने पीछे अविवाहित बहन एवं बीमार माँ एवं लकवाग्रस्त पिता को पीछे छोड़ गये है।

NCRES को यह भी अवगत कराना है कि स्व0 रवि किशोर की अविवाहित बहन ने अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति का आवेदन किया है जिससे वे अपने भाई की छोड़ी गई जिम्मेदारी को पूर्ण कर सके एवं लकवाग्रस्त पिता का इलाज करवा सके, परन्तु खेद का विषय है कि उसकी बहन को आज तक नौकरी नही दी जा सकी है एवं वह दर–दर भटक रही है।

NCRES को यह भी अवगत कराना है कि स्व0 रवि किशोर के पिता एक हेल्पर थे एवं उनके पास अपना कोई निजी मकान तक नही है एवं वे सभी अभी रेलवे आवास में रह रहे है एवं अनुकम्पा आधार पर नौकरी न मिलने पर वे सड़क पर आ जायेगें। यह भी कि स्व. रवि किशोर के पिता ने ढाई लाख रूपये एवं स्व. रवि किशोर ने 6 लाख रूपये बड़ी बेटी की शादी के लिये लोन भी लिया गया है जिसका भुगतान अब पिता के ऊपर आ गया है।

इसके अतिरिक्त अपाहिज पिता को दिखाने, फीजियोथेरेपी आदि के लिये ट्रान्सपोर्ट, परिवार के भोजन, मां की दवाई आदि में ही पिता जिनको न्यूनतम पेंशन मिलती है, उनका खर्च नही चल पाता है। इसके अतिरिक्त यह भी कि पिता के बाद मां की एवं स्वयं की देखभाल बिना नौकरी के करना उसकी बहन के लिये सम्भव नही है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि कोविड–19 वैश्विक महामारी से अपने 29 वर्षीय जवान बेटे को खोने वाले लकवाग्रसत पिता की अवस्था को देखते हुये स्व0 रवि किशोर की बहन कु0 नीतू कुमारी को अनुकम्पा आधार पर नौकरी देने हेतु उचित आदेश करने का कष्ट करें।

श्री भानु प्रताप सिंह चंदेल, मण्डल सचिव, झांसी मण्डल

(43) ग्वालियर–श्योपुरकलां नैरोगेज खण्ड के बंद हो जाने के कारण डीजल शेड ग्वालियर में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चो की शिक्षा एवं माता–पिता व परिजनो की देखरेख को ध्यान में रखते हुये उन्हें कैरिज–वैगन ग्वालियर, TRS ग्वालियर एवं RSK सिथौली में समायोजित किया जाय।

(44) इंजीनियरिंग विभाग की ट्रैक मेन्टेनर कैटेगिरी में कार्यरत महिला कर्मचारियों को कार्य की जटिलता एवं उनकी शारीरिक एवं सामाजित विषमताओं को ध्यान में रखते हुये कैडर (संवर्ग) परिवर्तन करने की मांग को शीघ्र पूरा किया जाय।

(45) प्रगति और परिवर्तन की दौड़ में किये जा रहे सुधार/परिवर्तन की भेंट कर्मचारियों को प्रदत्त अधिकार/सुविधायें चढ़ती जा रही है और इन्ही सुविधाओं में से एक सुविधा जो कार्यरत/सेवानिवृत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितो को मुफ्त यात्रा पास के रूप में प्राप्त है, का उपयोग 30 से 40 प्रतिशत लोग ही कर पा रहे है क्योंकि जबसे E-Pass का आदेश लागू हुआ है तब से 60 से 70 प्रतिशत कर्मचारी इसको प्राप्त करने की जटिलताओं और उपयोग करने में आने वाली समस्यायों के कारण इसका उपयोग नही कर पा रहे है।

अतः जब तक सभी कर्मचारी इसके उपयोग की प्रकिया से भली–भांति प्रशिक्षित नही हो जाते तब तक मैनुवल पास जारी करने की व्यवस्था की जाय।

श्री एस. के. सिंह, सहायक महासचिव, एन.सी.आर.ई.एस.

(46) प्रधान कार्यालय के बगल अन्डर ब्रिज से CSP, CPOH की रोड खराब है, बरसात में बह गई है, कर्मचारियों के आने–जाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान जी इसको बनवाने की कृपा करें।

(47) CSP कालोनी में रेल आवासो की छत टपक रही है, कर्मचारियों के रहने में दिक्कत हो रही है, परिवार को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे श्रीमान जी संज्ञान में लेने की कृपा करें।

कालोनी नं0 2 सुबेदारगंज में जल भराव की समस्या है जल निकासी हेतु उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें।

(48) TRD/OHE डिपो सुबेदारगंज के कार्यालय एवं भण्डार की दीवार की लम्बाई कम है जिससे चोरी की सम्भावना रहती है। दिनांक 26.8.2021 को चोरी हुई थी इसकी सूचना आर.पी.एफ. को दी गई हैं। दीवार की ऊचाई बढ़ाकर रेलवे भण्डार की सुरक्षा की जानी चाहिये।

अतः श्रीमान जी इस पर ध्यान देकर बनवाने हेतु उचित दिशा–निर्देश देने की कृपा करें।

श्री दीपक गोयल, कोषाध्यक्ष, एन.सी.आर.ई.एस.

(49) Four Vehicle Fasiclity की सुविधा उपलब्ध कराना। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोरोना महामारी के पश्चात स्पेशली ब्रांच सेक्टर में, जहां पर सिंगल लाइन होने की वजह से सेक्शन की लम्बाई 80–100 किमी. तक है, उस पर ट्रेन सर्विस कम होने और समय पर न होने की वजह से स्टाफ को खास तौर से सुपरवाजरो को जंक्शन में अपने व्हीकल/किराये से जाना पड़ता है, जिससे समय से और ठीक प्रकार से कार्य निरीक्षण नही हो पाता है तथा रात में जाने में असुरक्षित रहता है। अतः संघ मांग करता है कि सभी एस.एस.ई/पीवे डिपो में एक गाड़ी सिर्फ सुपरवाइजरो को उपलब्ध कराई जाय। यह सुविधा आज कल सिगनल विभाग में सेक्शनल जे.ई./एस.एस.ई तक उपलब्ध है।

(50) इस प्रकार के डिपो में स्किल्ड/आर्टीजन स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से ट्रैक अनुरक्षण का कार्य ठीक समय और क्वालिटी के अनुसार नही हो पाता है। अतः प्रत्येक डिपो में जरूरत के अनुसार आर्टीजन स्टाफ उपलब्ध कराये जाय। पी.वे. स्टोर में CCTV कैमरा लगा कर उसे ज्यादा लास को निगरानी में लाया जाय ताकि किमी. चोरी की घटना होने की स्थिति में ध्यान दिया जा सके।

श्री पी. के. सोनी, मण्डल अध्यक्ष, आगरा मण्डल

(51) आगरा मण्डल पर मथुरा–पलवल खण्ड जो कि गतिमान गाड़ी का हाई स्पीड रूट है, इस खण्ड में अब चार लाइनो का संचालन शुरू हो गया है। इन अतिरिक्त बनी तीसरी और चौथी लाइन की मेन्टेनेन्स हेतु आउट सोर्स लेबर को रखा गया है, परन्तु उनके कार्य की सुपरवाइजरी अभी भी वहाँ पदस्थ एस.एस.ई/पीवे द्वारा की जा रही है और जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाल दी जाती है। एस. एस.ई/पीवे/इंचार्ज जिन पर पहले से ही गतिमान के हाई स्पीड रूट को मेन्टेन करने की जिम्मेदारी है, इस अतिरिक्त बढ़ाये गये कार्य से मानसिक तनाव और शारीरिक दबाव में है और अन्ततः इसका प्रभाव रेलवे की सुरक्षा पर पड़ना लाजिमी है।

अतः "संघ" मांग करता है कि कोसीकलां व पलवल (जो इस सेक्शन के डिपो है) में एक–एक अतिरिक्त एस.एस.ई/पीवे नियुक्त किया जाय।

(52) NCR आगरा में पिछले कुछ दिनो से लगातार रनिंग स्टाफ जिसमें लोको पायलट मेंल एवं सीनियर लोको इंसपेक्टर कैटेगिरी में लगातार बढ़ते मानसिक दबाव के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृति होने की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है जिसके कारण बड़ी संख्या में वरिष्ठ रेल कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृति देते जा रहे है।

प्रशासन की तरफ से मण्डल स्तर पर इस तरह की सेवानिवृति को रोकने हेतु कोई भी काउन्सिलंग दिखाई नही दे रही है। इस तरह बढ़ती सेवानिवृति की वजह से शेष रनिंग स्टाफ पर स्टाफ की कमी व अधिक कार्य का दबाव महसूस किया जा रहा है।

इस दिशा में प्रशासन से मांग है कि बढ़ती स्वैच्छिक सेवानिवृति को रोकने हेतु प्रापर काउन्सिलिंग करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

इस तरह की स्वैच्छिक सेवानिवृति होने वाले कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप Gold Plated Silver Medal प्रशासन प्रदान नही कर रहा है जब कि NCR की साइड ncr.indianrailways.gov.in पर अपने रिटायरमेन्ट बेनीफिट जानने के विषय में समरी नं0 1 के क्रम 2nd पैरा में स्वैच्छिक सेवानिवृति में इसे दिया जाना लिखा है। यदि यह जानकारी सही है तो पूर्व में स्वैच्छिक सेवानिवृति रनिंग एवं अन्य रेल कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप यह Gold Plated Silver Medal दिया जाना चाहिये।

श्री अरूण राय, शाखा सचिव– हेडक्वाटर शाखा नं0 1

(53) उत्तर मध्य रेलवे के निर्माण संगठन के S&T/C के सुपरवाइजरो को साप्ताहिक विश्राम के दिन कार्य करने पर प्रतिपूरक विश्राम C/R नही दिया जाता है, मांग करने पर वेतन तक काट दिया जाता है जब कि NCR जोन के तीनो मण्डलो में C/R देने का आदेश कियान्वित किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मण्डल की भांति विश्राम के दिन कार्य करने पर C/R की सुविधा को निर्माण संगठन के सुपरवाइजरो को भी देने का आदेश जारी करने की कृपा करें।

(54) उत्तर मध्य रेलवे के निर्माण संगठन में रेलवे बोर्ड के संख्या 2015/Sig/E.Non. Gaz./1 दिनांक 20.7.2016 व 2018/TF Cell/S&T/S&T Uniform दिनांक 5.3.2019 के अनुसार ट्रैक पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु मिलने वाले Protective Gear जैसे– Safety Shoes, Luminous Jacket, Rain Coat etc. सामान वितरित नही किया जा रहा है, अतः आपसे अनुरोध है कि निर्माण संगठन में ट्रैक पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के उपरोक्त पत्र के अनुसार तथा कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उचित आदेश जारी करने की कृपा की जाय। निर्माण संगठन के सभी कर्मचारी एवं संगठन आपका आभारी रहेगा।

श्री चंदन कुमार सिंह, मण्डल कोषाध्यक्ष, प्रयागराज मण्डल

(55) मण्डल के डीजल रनिंग स्टाफ को सर्वप्रथम 100 प्रतिशत कनवर्जन कराया जाय, तदुपरान्त उनकी वरिष्टता का निर्धारण किया जाय, तत्पश्चात मर्जर किया जाय जो कि सम्भव नही लग रहा है। इसलिये डीजल लाबी, फोरमैन, सेक्सन, और गाड़ियां (डीजल की बीट) अलग रखकर कार्य कराया जाय।

(56) जब कोविड–19 अपने चरम पर था उस समय सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करते हुये बिना किसी योजना के डीजल लाबी को विद्युत लाबी जो प्लेटफार्म 1 में है सम्मिलित किया गया है जिससे प्रशासनिक स्तर पर कोई फायदा नही हुआ है क्योंकि पुरानी लाबी के पास ही ART ARME, शेड तथा रनिंग रूम है जिसके नियंत्रण के लिये पहले की तरह और समान स्टाफ की जरूरत रहती है, प्लेटफार्म 1 में अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ रही है, इसलिये डीजल लाओ को वापस पुरानी जगह शिफ्ट किया जाय।

(57) आज छिवकी होकर जाने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, अतः पुराने रनिंग रूम का विस्तार किया जाय। छिवकी में कार्यरत क्रू के लिये नये आवास बनाये जाय और नैनी स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तार किया जाय।

श्री सुरेन्द्र तिवारी, शाखा सचिव, हेडक्वाटर शाखा

(58) मुख्यालय में कार्यरत ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को पोशाक भत्ता 2017 से दिये जाने के संबंध में – उमरे/मुख्यालय/प्रयागराज में कार्यरत ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को पोशाक भत्ता वर्ष 2017 से नहीं दिया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के पत्रांक PC-VII/2018/I/7/5/1 Dated 20.06.2019 (प्रति संलग्न) के पैरा 3 में पोशाक भत्ता के लिए सुयोग्य कटेगरी के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इसके उप पैरा (ए) में रेल मंत्रालय के ड्रेस रेगुलेशन के अनुसार वैसे कैटेगरी के कर्मचारी जिन्हें पोशाक पहनना आवश्यक था, को पोशाक भत्ते की योग्यता के रूप में बतलाया गया है। उप पैरा (बी) के अनुसार उक्त कैटेगरी के कर्मचारियों को पोशाक मटेरियल एवं उसके सहायक भत्ता यथा यूनिफार्म एलाउन्स, जूता भत्ता इत्यादि 1 जुलाई 2017 से पहले एडमिसिबल हो। उप पैरा (सी) में ऐसे कैटेगरी के कर्मचारियों को यूनिफार्म एवं सहायक भत्ता आर.बी.ई. 141/2017 के अनुसार बंद कर दिया गया हो।

रेलवे बोर्ड के आर.बी.ई. 80/2009 के एनेक्चर IV के अनुसार पैरा 26ए (खलासी, लाइनमैन, हेल्पर), 27ए (प्यून, डीसपैच राइडर, डाक रनर) एवं 28 (जमादार, प्यून सभी कटैगरी) (प्रति संलग्न) के अनुसार मुख्यालय में कार्यरत सभी ग्रुप 'डी' कर्मचारी पोशाक के लिए योग्य थें, लिहाजा वर्ष 2017 से इन कर्मचारियों को पोशाक भत्ता देय है। इनका पोशाक वर्ष 2017 से आर.बी.ई.141/2017 से जब्त किया जा चुका है। वर्तमान में मुख्यालय में कार्यरत ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के पद का नाम आर.बी.ई. 201/2018 (प्रति संलग्न) के अनुसार विभिन्न विभागों में सामान्य सहायक इत्यादि कर दिया गया है। विदित हो कि वर्तमान में मुख्यालय के लेखा विभाग, सामान्य विभाग एवं चिकित्सा विभाग में कार्यरत ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को वर्ष 2017 से पोशाक के एवज में पोशाक भत्ता प्रति वर्ष जुलाई में दिया भी जा रहा है। किन्तु अन्य विभागों में आज की तिथि तक पोशाक भत्ता ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है।

महाप्रबंधक महोदय से विनम्र निवेदन है कि मुख्यालय के वैसे ग्रुप 'डी' कर्मचारी जिन्हें पोशाक के एवज में पोशाक भत्ता नहीं दिया जा रहा है, उन्हें वर्ष 2017 से पोशाक भत्ता दिलवाने के लिए समुचित आदेश निर्गत करने की कृपा करें।

(59) **रेलवे स्कूल बस सुविधा का लाभ ले रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से स्कूल बस प्रभार की कटौती वापस करने के संबंध में:**–रेलगॉव कॉलोनी, सूबेदारगंज में निवास करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल जाने/आने के लिए रेलवे के द्वारा बस की सुविधा मुहैया कराई गई है। इस सुविधा के लिए प्रति कर्मचारी प्रति बच्चा के हिसाब से रू.500 की कटौती कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह की जाती है। भारत सरकार के द्वारा कोविड–19 के प्रकोप के कारण मार्च 2020 से सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया था। स्कूल बस का लाभ मार्च 2020 तक लिया गया। किन्तु बस प्रभार की कटौती स्कूल बंद होने के बाद भी जारी रही। एन.सी.आर.ई.एस. के द्वारा इस संबंध

में दिनांक 27.08.2020 के पत्र के द्वारा उक्त कटौती को रोकने एवं काटी गई राशि को कर्मचारियों को वापस करने का अनुरोध कार्मिक विभाग से किया गया। किन्तु आज की तिथि तक स्कूल बंद होने के दौरान काटी गई राशि को न तो वापस किया गया और न ही भविष्य में स्कूल खुलने पर काटी गई राशि का समायोजन किया गया।

इस संबंध में महाप्रबंधक महोदय से सादर अनुरोध है कि अप्रैल 2020 से स्कूल बस प्रभार के रूप में काटी गई राशि को संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों को लौटवाने के लिए समुचित आदेश निर्गत करने की कृपा करें।

श्री प्रीतम सिंह शेरावत, शाखा सचिव, मथुरा शाखा नं0 2

(60) आगरा मण्डल में पलवल स्टेशन पर मण्डल में कार्यरत इंजीनियरिंग (रेल पथ) व S&T विभाग के कर्मचारियों के रेल आवास बने हुये है, चूंकि पलवल स्टेशन NR में आता है, अतः यहां पर NR व NCR के रेल कर्मचारियों के लगभग 110 रेल आवास सम्मिलित रूप से बने हुये है, जिसमें 45 रेल आवास आगरा मण्डल (NCR) के है।

लेकिन आगरा मण्डल में कार्यरत इन रेल कर्मचारियों के रेल आवासो में कई वर्षो से उनके रख–रखाव का काई भी कार्य नही कराया जा रहा है, जब कि NR अपने सभी कर्मचारियों के रेल आवासो में नियमित रूप से रख–रखाव से सम्बन्धित सभी कार्य करवाता है। इसका मूल कारण आगरा मण्डल के रेल आवास NR के क्षेत्र में होना है, जिसके कारण कर्मचारियों व उनके परिवार को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

NCRES द्वारा आगरा मंडल रेल प्रशासन को वर्ष 2013 से कई बार इन रेल आवासो की समस्या के सम्बन्ध में मौखिक व लिखित में अवगत कराया जाता है तथा वर्ष 2018 से लगातार आगरा मण्डल की PNM मद संख्या 2018 (3/11) के माध्यम से भी बार–बार उठाया गया है। मगर खेद का विषय है कि अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान नही हो सका है, इन रेल आवासो में लम्बे समय से रखरखाव न होने के कारण इनकी स्थिति कर्मचारियों के रहने लायक नही है। चूंकि यह सभी कर्मचारी आगरा मण्डल में कार्यरह है।

अतः संघ मांग करता है कि इन कर्मचारियों की गम्भीर समस्या व रेल सेफ्टी को ध्यान में रखकर पलवल स्टेशन पर इन रेल आवासो के बदले नये रेल आवासो का निर्माण किया जाय तथा उनके पूरे रखरखाव की जिम्मेदारी आगरा मण्डल रेल प्रशासन को दी जाय जिससे ये कर्मचारी तनाव रहित होकर पूरे मनोयोग से अपना रेल कार्य कर सके।

श्री के. के. त्रिपाठी, शाखा सचिव, बांदा शाखा, झांसी मण्डल

(61) बांदा (झांसी) मण्डल में ब्रांच लाइन का स्टेशन है जहां से बहुत कम मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का संचालन होता है। यहाँ पर चालक एवं परिचालक लाबी में कार्यरत LP और गार्ड को अन्य डिपो की तुलना में बहुत कम माइलेज का भुगतान होता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न गाड़ियों का संचालन बांदा डिपो के चालक एवं परिचालको से संचालित किये जाने के आदेश पारित करें।

– बरौनी–अहमदाबाद (गाड़ी संख्या 09483/09484) का संचालन बांदा से पंडित दीन दयाल नगर, एवं वापसी।

– जबलपुर–निजामुद्दीन (गाड़ी संख्या 02195/02196) का संचालन बांदा से जबलपुर एव वापसी।

(62) सर, वर्तमान में 09484/09483 (बरौनी–अहमदाबाद एक्सप्रेस) में PCOI डिपो के गार्ड PCOI से DDU एवं PCOI से KURJ तक कार्य करते है। इस तरह PCOI डिपो के 04 गार्ड लगते है। यदि यह गाड़ी बांदा डिपो से चलाई जायेगी तो केवल 03 गार्ड लगेगें। ठीक इसी तरह वर्तमान में 02196/02195 जबलपुर–निजामुद्दीन एक्सप्रेस में जबलपुर के गार्ड को बांदा रनिंग रूम में लगभग 25 घंटे रूकना पड़ता है। यदि यह गाड़ी बांदा डिपो के चालक एवं परिचालक से संचालित कराई जाय तो मात्र एक ही स्टाफ से यह गाड़ी बांदा–जबलपुर–बांदा चलाई जा सकती है एंव जबलपुर से लगभग 10 घंटे का क्वालिटी रेस्ट भी शामिल है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कि समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त का पालन करते हुये उपरोक्त गाड़ियों का संचालन बांदा डिपो के स्टाफ से कराया जाना सुनिश्चित करें।

श्री इन्द्र विजय सिंह, शाखा सचिव, वर्कशाप शाखा नं0 1, झांसी मण्डल

(63) वर्कशाप झांसी में वैगन की पेंटिग का कार्य ज्यादातर खुले में कराया जाता है जहाँ बरसात का मौसम हो या गर्मी का या घना कोहरा हो या कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, कर्मचारियो से ज्यादातर शेड के बाहर ही पेंटिग का कार्य कराया जाता है जिससे कर्मचारियो को भारी असुविधा होती है, कभी–कभी तो वैगन्स ऐसी जगह खड़े होते है कि कर्मचारियों को पेंटिंग करने के लिये सीढ़ी भी लगाने की व्यवस्था नही होती है, तथा कार्य करते समय कभी–कभी कर्मचारी नीचे गिर कर चोटिल भी हो जाता है।

अतः NCRES प्रशासन से मांग करता है कि उपरोक्त कार्य के लिये अलग से शेड बनाया जाय जिससे कर्मचारियों को कार्य करने में असुविधा न हो।

(64) वर्कशाप में ठेकेदारो द्वारा कई कार्य कराये जा रहे है उन ठेकेदारो से सम्बन्धित कार्यो को रेलवे के कर्मचारियों को करना पड़ता है। जैसे वर्कशाप में Twin Pipe का कार्य प्राइवेट कराया जा रहा है परन्तु उन Twin Pipe की टेस्टिंग का कार्य रेल कर्मचारियों को करना पड़ता है। चूंकि टेस्टिंग के दौरान Twin Pipe में लीकेज के लिये प्राइवेट के कर्मचारियों को बुलाना पड़ता है जिससे रेल कर्मचारियों के स्वयं का कार्य वर्जित हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट के और भी कार्य चल रहे है जिनके छूटे हुये कार्यो को रेल कर्मचारियों को करना पड़ता है।

अतः NCRES मांग करता है कि Twin Pipe की टेस्टिंग का कार्य प्राइवेट के कर्मचारी स्वयं ही करे तथा प्राइवेट कर्मचारियों के बचे हुये कार्य को रेल कर्मचारियों से न कराया जाय जिससे सिक मार्किंग से बचा जा सकें।

कु0 शास्त्री देवी, शाखा अध्यक्ष, प्रयागराज शाखा नं0 1

(65) श्रीमान जी हम आपका महिलाओं की तरफ से अभिवादन करती हूँ। यह महिलाये भी भारतीय रेल को सुचारू रूपे से संचालन में पूर्ण योगदान दे रंही है। हमारी भी बहुत सारी समस्याये है। कार्य के दौरान जैसे– बुकिंग आफिस में बुकिंग विन्डो पर महिलाये कार्य करती है। बुकिंग विन्डो पर कार्य करते समय व्यक्ति विन्डो को छोड़कर एक मिनट के लिये भी कही जा नही सकता है क्योंकि बुकिंग विन्डो पर लम्बी–लम्बी लाइन यात्रियों की लगी होती है जिसके कारण हम विन्डो नही छोड़ सकते। यहां तक कि हमको लंच भी एक हाथ से टिकट बांटते हुये करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति हमारी फोटो खीचकर शिकायत करने की धमकी देता है और तरह–तरह की बाते करता है। इस मुद्दे पर पूर्व सहमति पिछले पी.एन.एम. में स्वीकार कर ली गई थी पर अभी तक कोई आदेश जारी नही हुआ है।

श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि बुकिंग क्लर्क की लंच की समस्या को देखते हुये कम से कम 15 मिनट का लंच ब्रेक देने की कृपा करे।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री